न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहुजा, आर.ए.एस.

विविध आवेदनपत्र संख्या 62/2018
अन्तर्गत धारा 55 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गौरव जैन पुत्र श्री लीलाधर जैन, जाति अग्रवाल निवासी 403 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर
2. धीरज सिंगला पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंगला, जाति अग्रवाल, निवासी 79, जी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर

......प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

........अप्रार्थी

उपस्थित–श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थीगण)
पैरोकारा राज (अप्रार्थी)

।। आदेश ।।

दिनांक 06 अप्रेल, 2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम चक 17 एल एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 97/71 नया/पुराना में मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1/2 से 5/2 में कुल 0.8350 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 97/71 में 0.724 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में धीरज सिंगला पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंगला के नाम 0.591 हैक्टर यानी 2–7 बीघा तथा गौरव जैन पुत्र श्री लीलाधर जैन के नाम 0.133 हैक्टर यानी 10 बिस्वा कृषि भूमि पृथक पृथक रूप से दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम मुरब्बा नम्बन 24 के किला नम्बर 1/2 से 5/2 में उक्त रकबा संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान कब्जा भी अन्य खातेदारों की सहमति से चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी आपसी सहमति से खाता संख्या 97/71 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1/2 से 5/2 में से अपने स्वामीत्व की कुल 0.724 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 1/2 में 0.1170 हैक्टर में से 0.029 हैक्टर, किला नम्बर 2/2 में 0.1790 हैक्टर में से 0.041 हेक्टर, किला नम्बर 3/2 में 0.1300 हैक्टर में से 0.041 हैक्टर, किला नम्बर 4/2 में 0.1790 हैक्टर में से 0.041 हैटर तथा किला नम्बर 5/2 में 0.180 हैक्टर में से 0.021 हैक्टर, यानि कुल 0.173 हैक्टर, प्रत्येक किला में 27 फीट चौडाई में, कृषि भूमि राज्य सरकार को वास्ते सरकारी रास्ता समर्पित करना चाहते है। उक्त भूमि किला नम्बर 1/2 से 5/2 के मध्य में स्थित है। जिसे इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा द्वारा हल्का पटवारी, में इंगित किया गया है। जो भूमि प्रार्थीगण सरकारी रास्ते हेतु समर्पित करना चाहेत हैं, वह भूमि प्रार्थीगण के स्वयं की कब्जा काश्त की भूमि है तथा दोनों प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर रूप में जो भूमि रास्ते हेतु समर्पित की जा रही है, को समर्पित करना चाहते हैं। उक्त खाता में अन्य दो खातेदार दौलत राम पुत्र श्री श्योचन्द एवं विमल गर्ग पुत्र श्री बिलावर चन्द गर्ग की कृषि भूमि भी अलग अलग हिस्सों में स्थित है जिनका इस समर्पित की जाने वाली भूमि से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात्

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

इनकी कृषि भूमि का कोई हिस्सा इस सरकारी रास्ते के लिए समर्पित की जाने वाली कृषि भूमि में से कोई हिस्सा समर्पित नहीं किया जा रहा है, अर्थात राजस्व रिकार्ड में इन दोनों काश्तकारों का जो हिस्सा दर्ज है, उसको कम न किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो संलग्न प्रार्थना पत्र है।

समर्पण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि को जरिये समर्पण पत्र, राज्य पक्ष में सरकारी रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु सक्षम अधिकारी को आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण जरिए अभिभाषक उपस्थित। स्टेट की ओर से तहसीलदार, श्रीगंगानगर पैरोकार राज उपस्थित। स्टेट की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके तथ्यानुसार चक 17 एल एल मुरबा नं. 24 के किला नं. 1 ता 4 का मौका देखा गया। मौका पर उक्त किला नं. 1 ता 4 में हनुमानगढ रोड से चिपता हुआ पश्चिम से पूर्व की तरफ किला नं. 1 से 4 के बीचो बीच करीबन 27 फीट चौडा रास्ता मौका पर चल रहा है जो कि रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रकबा रिकार्ड मे गौरव पुत्र लीलाधर जैन व धीरज सींगला पुत्र सुरेन्द्र सिंगला के नाम से दर्ज है।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया। पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों एवं स्टेट की ओर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के चक 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 97/71 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1/2 से 5/2 में से प्रार्थीगण के स्वामीत्व की कुल 0.724 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 1/2 में 0.1170 हैक्टर में से 0.029 हैक्टर, किला नम्बर 2/2 में 0.1790 हैक्टर में से 0.041 हेक्टर, किला नम्बर 3/2 में 0.1800 हैक्टर में से 0.041 हैक्टर, किला नम्बर 4/2 में 0.1790 हैक्टर में से 0.041 हैक्टर तथा किला नम्बर 5/2 में 0.180 हैक्टर में से 0.021 हैक्टर, यानि कुल 0. 173 हैक्टर, प्रत्येक किला में 27 फीट चौडाई में, कृषि भूमि राज्य सरकार को वास्ते सरकारी रास्ता हेतु समर्पित करने पर उक्त भूमि पर पूर्व से चालू रास्ता को रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर स्वीकृतशुदा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे ।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय आज दिंनाक 27 मार्च, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर